

(4)

**Unit-IV/इकाई-IV**

15

8. Describe the Revisional Powers of High Court.

उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

9. Write down the provisions under Cr. P Code with regard to 'Suspension' Remission and Commutation of sentence.

दण्डादेशों के 'निलम्बन', परिहार तथा 'लघुकरण' सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

A

**(Printed Pages 4)**

Roll No. \_\_\_\_\_

**LH-8/2894**

**LL. B. (Hons.) (Semester-VIII)  
Examination, 2015  
(Old Course)  
Cr. P.C.**

**Fourth Paper**

*Time Allowed : Three Hours ] [ Maximum Marks : 100*

**Note :** Answer **Five** question in all. Question No. **1** is **compulsory**. Attempt **one** question from each Unit.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है।  
प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए।

1. Write short notes on the following:

$4 \times 10 = 40$

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये:

- (a) Abatement of Appeal.  
अपीलों का उपशमन
- (b) Person once convicted or acquired not to be tried again for the same offence.  
एक बार दोषीसिद्ध या दोषयुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना।

(2)

- (c) Absence of complainant on the date of hearing in warrant trial.  
वारन्ट मामलों के विचारण में सुनवाई की तिथि पर परिवादी की अनुपस्थिति।
- (d) Previous conviction  
पूर्व दोष सिद्धि।
- (e) Procedure of trial in cases instituted u/s 199(2) Crpc.  
धारा 199(2) द. प्र. स. के अधीन संस्थित मामलों के विचारण की प्रक्रिया।
- (f) Hearing on question of Sentence.  
दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनना।
- (g) Compensation for accusation without reasonable cause.  
उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर।
- (h) Charge  
आरोप (चार्ट)
- (i) Compounding of offence.  
अपराधों का शमन।
- (j) Tender of Pardon to accomplice.  
सह-अपराधी को क्षमादान।

**Unit-I/ इकाई-I**

15

2. Discuss the opportunity of hearing concept in warrant trial.  
वारण्ट मामलों में सुनवाई के अवसर की उपधारणा की व्याख्या कीजिए।

(3)

3. Write in detail the procedure of trial before the court of session.  
सेशन न्यायलय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया विस्तार से लिखिए।

**Unit-II/ इकाई-II**

15

4. Discuss the procedure of Summons Trial.  
सम्पन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
5. Mention the courts who can try cases Summary way and also enumerate the offences which can be tried Summary way.  
संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किन न्यायालयों को प्राप्त है, विचार कीजिए तथा यह भी दर्शाइए कि किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

**Unit-III/ इकाई-III**

15

6. The right of appeal is not as inherent right in criminal case. Discuss.  
“अपराधिक मामलों में अपील का अधिकार एक अन्तर्भित अधिकार नहीं है।” व्याख्या कीजिए।
7. What do you understand by judgement? Mention the contents of judgement and as to how the judgement is pronounced.  
निर्णय से आप क्या समझते हैं? निर्णय की अन्तर्वस्तु दर्शाइये तथा उल्लेखित कीजिए कि निर्णय किस प्रकार सुनाया जा सकता है।